बनाम

किस्म मुकद्मा– वाद अन्तर्गत धारा 88-89 आरटीए नं0 178 सन 2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स<br>2018/0012 | नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 8/1/18 | वादी/वादीगण खारोल विकास समिति की ओर से यह वाद श्री O.P. सोनी एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता देखी गई। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 15/1/18 को पेश हों। | |
| 15/1/18 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज. कार्य से मीटिंग/शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि0 22/1/18 को पेश हो। | |
| 22/1/18 | पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी नं0 1 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी को सुना गया, वकील वादी ने कथन किये कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद की ख0नं0 2839/1 रकबा 0.18 हे0 भूमि को वादी समिति ने खातेदार से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.05.2010 को खरीद की थी। उक्त विक्रय पत्र में खरीदार के रूप में नाम खारोल (खारवाल) विकास समिति, रजिस्टर्ड नं0 8/2010–11 ग्राम दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा जरिये अध्यक्ष गिरधारी लाल आत्मज गोपाल जाति खारवाल निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा दर्ज हो गया, जबकि उक्त भूमि समिति के उपयोग के लिए ही समिति द्वारा खरीद की गयी थी। उक्त भूमि व्यक्तिगत रूप से खरीद नहीं की गयी और समिति के चुनाव होते रहते है और अध्यक्ष बदलते रहते है इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी का जो नाम व्यक्तिगत रूप से दर्ज है उसको हटाया जाना आवश्यक है। अतः ग्राम दीगोद तहसील दीगोद की ख0नं0 2839/1 रकबा 0.18 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी नं0 1 का नाम "गिरधारी लाल आत्मज गोपाल जाति खारवाल निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा" डिलीट किया जावें व वादी समिति को खातेदार घोषित किया जावें।<br>वादपत्र एवं वांछित रिलीफ के क्रम में पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं इकबालिया जवाब पर मनन किया गया। जमाबंदी सं0 2071–74 खाता नं0 106 वाके ग्राम शोली पर स्थित भूमि ख0नं0 2839/1 रकबा 0.18 हे0 भूमि | |

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स

खारोल विकास समिति दीगोद जर्ये अध्यक्ष गिरधारी लाल पुत्र गोपाल खारवाल निवासी शोली के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। चूंकि प्रकरणाधीन भूमि खारोल विकास समिति दीगोद द्वारा क्रय की गई है तथा जिस समय भूमि खरीद की गई थी, तत्समय अध्यक्ष गिरधारी लाल पुत्र गोपाल खारवाल निवासी शोली थे, जिससे अध्यक्ष का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया गया। समिति की ओर से उक्त वाद पत्र में अध्यक्ष का नाम हटाकर भूमि समिति के नाम दर्ज किये जाने की रिलीफ चाही है। वैसे भी समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल सीमित होता है तथा परिवर्तनशील होता है। वर्तमान समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित "जर्ये अध्यक्ष गिरधारी लाल पुत्र गोपाल खारवाल निवासी शोली" हटाये जानें में सहमत है तथा उक्त अंकन हटाये जानें के परिणाम स्वरूप किसी को कोई आपत्ति नहीं है और न ही किसी प्रकार की राजकीय हानि होना ही संभाव्य है।

लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम दीगोद तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 2839/1 रकबा 0.18 है0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित "जर्ये अध्यक्ष गिरधारी लाल पुत्र गोपाल खारवाल निवासी शोली" हटाये जानें के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।